<u>न्यायालयः— अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारी	: **विपिन बिश्नोई, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
विविध दांडिक प्रकरण सं.	: 297/2026
सी.आई.एस.नं.	: 246/2026
CNR	: RJSG0D0009152026

सुखा सिंह पुत्र सरजीत सिंह उम्र 29 साल निवासी 35 एमएल बारावाली पीएस मुकलावा जिला श्रीगंगानगर।

— प्रार्थी/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक सं. 1 रायसिंहनगर।

— अप्रार्थी/राज्य पक्ष

<u>— एवं —</u>

विविध दांडिक प्रकरण सं.	: 296/2026
सी.आई.एस.नं.	: 245/2026
CNR	: RJSG0D0009012026

मनीष कुमार पुत्र श्रवणराम उम्र 26 साल निवासी 35 एमएल बारावाली पीएस मुकलावा जिला श्रीगंगानगर।

— प्रार्थी/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक सं. 1 रायसिंहनगर।

— अप्रार्थी/राज्य पक्ष

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S., संबंद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2026, अपराध अंतर्गत धारा 08/21, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट, आरक्षी केन्द्र मुकलावा।

<u>उपस्थितिः—</u>

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्तागण क्रमशः श्री अजय धारणियां व श्री गुरप्रताप सिंह।
2. अप्रार्थी/राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सं. 1 श्री मोहनलाल बाना।

<u>— आदेश —</u>

<u>दिनांकः— 18.08.2026</u>

01. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुखा सिंह व मनीष कुमार की ओर से जरिए अधिवक्ता पृथक—पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S. प्रस्तुत करने पर उभय पक्षों को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र एक ही एफआईआर/प्रकरण से संबंधित एवं एक ही प्रकृति के होने के कारण उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्रों का एक साथ ही निस्तारण किया जा रहा है। केस डायरी को तलब कर अवलोकन किया

गया।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्यानुसार दिनांक 09.08.2026 को थानाधिकारी हेमलता शर्मा पुनि. पुलिस थाना मुकलावा मय मुलाजमान द्वारा दौराने गश्त समय करीब 09:30 PM बजे वाके गंगनहर पटड़ा, रोही 1 एमके–बी, पुलिस थाना मुकलावा क्षेत्र में वाहन मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डिलक्स रजि. नं. RJ–13–SV–2808 पर अभियुक्तगण सुखा सिंह व मनीष कुमार के एक साथ सवार होने के दौरान मोटरसाईकिल के हेण्डल पर बंधे काले रंग के बैग में पीले रंग की थैली के टुकड़े में सफेद रंग की जिप वाली थैली में मटमेले रंग के तीन टुकड़े ठोसनुमा/डलीनुमा अवैध मादक पदार्थ हैरोईन (चिट्टा) वजन 6.44 ग्राम (शुद्ध वजन) बिना किसी वैध लाईसेंस एवं परमिट के परिवहन करते हुए बरामद किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अभियुक्तगण के सचैतन्य कब्जा से उक्त अवैध मादक पदार्थ हैरोईन (चिट्टा) को अपने सचैतन्य आधिपत्य में रखने एवं परिवहन किए जाने का कोई वैद्य लाईसेंस/अनुज्ञापत्र नहीं था। जिस पर मौका पर बरामदगी की नियमानुसार माकूल कार्यवाही करके उक्त वाहन मोटरसाईकिल को कब्जा पुलिस में लेकर उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पुलिस थाना रायसिंहनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 90/2026 अपराध अंतर्गत धारा 08/21, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज की गई।

03. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि प्रार्थी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी दिखाई है वह झूठी दिखाई है। कथित स्वतंत्र साक्षी नहीं होने से कहानी संदेहजनक है। बरामदगी मोटरसाईकिल पर टंगे बैग से दिखाई गई है। मोटरसाईकिल व बैग प्रार्थी मनीष कुमार का नहीं था व मात्र मोटरसाईकिल के पीछे सवार होने से शक के आधार पर उसे फंसाया गया है। प्रार्थीगण से तमाम तफ्तीश व तकमील पूर्ण हो चुकी है। प्रार्थीगण मजदूर पेशा है तथा नौजवान है, जिनके अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार को भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। प्रार्थीगण इलाका हाजा के निवासी हैं, जिनके बाद जमानत भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अंत में प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित कृत्य को गंभीर होना बताते हुए उक्त जमानत आवेदन को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुखा सिंह व मनीष कुमार के विरूद्ध धारा 08/21, 25 NDPS Act के अपराध का अभियोग है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुखा सिंह व मनीष कुमार के विरूद्ध मोटरसाईकिल एचएफ डिलक्स रजि. नं. RJ–13–SV–2808 पर सवार होने के दौरान अवैध मादक पदार्थ हैरोईन (चिट्टा) वजन 6.44 ग्राम (शुद्ध वजन) बिना किसी वैध लाईसेंस एवं परमिट के परिवहन करते हुए बरामद होना अभिकथित है। प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थी/अभियुक्त सुखा सिंह के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा पूर्व में निम्नलिखित आपराधिक

प्रकरण दर्ज होने का अंकन है :–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर व थाना	अपराध धारा	पुलिस चालान	न्यायालय नतीजा
01	03/2024 पीएस मुकलावा	8/21, 25 NDPS Act	चालान 13/25.04.24	जैर तजबीज न्यायालय

प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थी/अभियुक्त मनीष कुमार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा पूर्व में निम्नलिखित आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन है :–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर व थाना	अपराध धारा	पुलिस चालान	न्यायालय नतीजा
01	362/2021 पीएस कोतवाली, श्रीगंगानगर	379 भा.द.सं.	चालान 296/24.11.21	जैर तजबीज न्यायालय

06. इस प्रकार प्रस्तुत उक्त आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा पूर्व में 01–01 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का अंकन है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त सुखा सिंह के विरूद्ध समान प्रकृति का NDPA Act से संबंधित प्रकरण दर्ज होने का अंकन है। वर्तमान समय में मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यदि इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में एक विपरीत संदेश प्रसारित होगा तथा ऐसे अपराधों एवं अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपराध की गंभीरता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

::– आदेश –::

07. अतः **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1– सुखा सिंह** पुत्र सरजीत सिंह उम्र 29 साल निवासी 35 एमएल बारावाली पीएस मुकलावा जिला श्रीगंगानगर, **2– मनीष कुमार** पुत्र श्रवणराम उम्र 26 साल निवासी 35 एमएल बारावाली पीएस मुकलावा जिला श्रीगंगानगर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S. **अस्वीकार** कर खारिज किए जाते हैं।

(विपिन बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1,
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

08. आदेश आज दिनांक **18.08.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विपिन बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1,
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

RAVI KUMAR

Steno Gr. 1st, "Authenticate Document"
Digitally signed by RAVI KUMAR
Date: 2026.08.18 15:13:17 +0530